कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 42/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री भोलूराम मार्फत जिन्दल रेडियो एण्ड टी.वी. सैन्टर पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

——प्रत्यार्थी

आदेश   दिनांकः—23.07.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। सूचना दिलवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 858 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्राप्त जबाव का अवलोकन करने से उक्त पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया। उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र कमांक 619 दिनाक 10.05.2018 की प्रति का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पीलीबंगा को अंतरित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पीलीबंगा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर इनके विरूद्ध सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ